भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 5349**

**25 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न**

**एनएफएसए**

**5349. श्री अभय कुमार सिन्हा:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बेघर व्यक्तियों और अन्य कमजोर समूहों, जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) या गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) का राशन कार्ड नहीं है, के लिए राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को राशन कार्ड के बिना खाद्यान्न प्राप्त करने की प्रक्रिया और ब्यौरा क्या है, तथा अब तक चिन्हित किए गए ऐसे लाभार्थियों की राज्यवार, विशेषकर बिहार में जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में सभी बीपीएल, एएवाई और एपीएल कार्डधारकों का विस्तृत और अद्यतन डेटाबेस है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और विशेषकर बिहार में जिलावार तथा औरंगाबाद जिले के लिए ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा बेहतर लक्ष्यीकरण और पारदर्शिता के लिए सभी बीपीएल, एपीएल और एएवाई राशन कार्डों को पूर्ण रूप से डिजिटाइज़ करने और उन्हें आधार से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए गए हैं या उठाए जाने हैं?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क) और (ख):** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है। अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों में की जाती है अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार परिवार (पीएचएच)। अधिनियम के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की कोई श्रेणी नहीं है।

इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य के लिए निर्धारित लाभार्थियों की अधिकतम सीमा के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक, उक्त योजना पर लागू दिशानिर्देशों के अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवारों की पहचान करेगी और शेष परिवारों को राज्य सरकार द्वारा स्वयं विकसित दिशानिर्देशों के अनुसार, टीपीडीएस के अंतर्गत आने वाले प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) के रूप में चिन्हित करेगी। इसलिए, प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान के मानदंड राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं। अधिनियम में "बेघर व्यक्तियों" के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

...2/-

**(ग) और (घ):** अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण, जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है, **अनुबंध-I** में है।

बिहार राज्य में, औरंगाबाद जिले सहित, इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की जिलावार संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

**(ङ):** बेहतर लक्ष्यीकरण और पारदर्शिता के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस को पूरी तरह (100%) डिजिटाइज़ कर दिया गया है और 99.7% राशन कार्ड आधार से जोड़ दिए गए हैं।

*****

अनुबंध-I

**"एनएफएसए" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 25.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 5349 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध**

यह विवरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या को दर्शाता है।

| क्र. सं. | राज्य का नाम | लाभार्थियों की संख्या (दिनांक 23.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | एएवाई | पीएचएच | कुल |
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 11,463 | 49,900 | 61,363 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 22,61,686 | 2,45,61,517 | 2,68,23,203 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1,58,173 | 7,24,824 | 8,82,997 |
| 4 | असम | 21,50,112 | 2,27,44,673 | 2,48,94,785 |
| 5 | बिहार | 83,00,243 | 7,71,24,599 | 8,54,24,842 |
| 6 | चंडीगढ़ | 926 | 3,43,413 | 3,44,339 |
| 7 | छत्तीसगढ | 18,63,494 | 1,81,10,189 | 1,99,73,683 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 20,704 | 2,42,470 | 2,63,174 |
| 9 | दिल्ली | 2,66,874 | 69,42,182 | 72,09,056 |
| 10 | गोवा | 38,842 | 4,37,568 | 4,76,410 |
| 11 | गुजरात | 31,90,729 | 3,05,01,291 | 3,36,92,020 |
| 12 | हरियाणा | 8,12,965 | 1,48,22,882 | 1,56,35,847 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 6,37,786 | 22,26,610 | 28,64,396 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 7,52,355 | 50,83,210 | 58,35,565 |
| 15 | झारखंड | 33,64,649 | 2,29,78,222 | 2,63,42,871 |
| 16 | कर्नाटक | 42,77,361 | 3,59,16,376 | 4,01,93,737 |
| 17 | केरल | 18,56,178 | 1,34,39,202 | 1,52,95,380 |
| 18 | लद्दाख | 18,804 | 94,299 | 1,13,103 |
| 19 | लक्षद्वीप | 4,040 | 16,048 | 20,088 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 47,31,631 | 4,91,11,111 | 5,38,42,742 |
| 21 | महाराष्ट्र | 97,58,759 | 5,79,18,342 | 6,76,77,101 |
| 22 | मणिपुर | 1,86,866 | 19,23,346 | 21,10,212 |
| 23 | मेघालय | 2,89,138 | 18,44,911 | 21,34,049 |
| 24 | मिजोरम | 63,585 | 6,51,026 | 7,14,611 |
| 25 | नागालैंड | 1,29,718 | 10,02,634 | 11,32,352 |
| 26 | ओडिशा | 34,27,028 | 2,89,38,481 | 3,23,65,509 |
| 27 | पुदुचेरी | 77,091 | 6,27,023 | 7,04,114 |
| 28 | पंजाब | 3,23,318 | 1,50,02,924 | 1,53,26,242 |
| 29 | राजस्थान | 19,23,705 | 4,22,59,086 | 4,41,82,791 |
| 30 | सिक्किम | 57,847 | 3,18,731 | 3,76,578 |
| 31 | तमिलनाडु | 62,63,321 | 3,01,97,875 | 3,64,61,196 |
| 32 | तेलंगाना | 15,66,311 | 1,75,98,796 | 1,91,65,107 |
| 33 | त्रिपुरा | 4,34,895 | 19,03,186 | 23,38,081 |
| 34 | उत्तराखंड | 6,69,312 | 53,50,952 | 60,20,264 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 1,27,96,790 | 13,29,40,072 | 14,57,36,862 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 52,90,817 | 5,46,89,849 | 5,99,80,666 |
| | **कुल** | **7,79,77,516** | **71,86,37,820** | **79,66,15,336** |

*****

**"एनएफएसए" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 25.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 5349 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध**

यह विवरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की जिलावार संख्या को दर्शाता है।

| क्र. सं. | जिला | लाभार्थियों की संख्या (दिनांक 23.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | एएवाई | पीएचएच | कुल |
| 1 | अररिया | 2,15,229 | 24,40,075 | 26,55,304 |
| 2 | अरवल | 74,236 | 3,82,025 | 4,56,261 |
| 3 | औरंगाबाद | 2,19,321 | 15,72,731 | 17,92,052 |
| 4 | बांका | 1,10,634 | 17,10,211 | 18,20,845 |
| 5 | बेगूसराय | 2,47,728 | 23,47,918 | 25,95,646 |
| 6 | भागलपुर | 1,90,877 | 23,26,844 | 25,17,721 |
| 7 | भोजपुर | 2,00,130 | 18,47,741 | 20,47,871 |
| 8 | बक्सर | 1,07,089 | 10,51,193 | 11,58,282 |
| 9 | दरभंगा | 2,96,489 | 33,27,823 | 36,24,312 |
| 10 | गया | 3,04,922 | 27,69,272 | 30,74,194 |
| 11 | गोपालगंज | 2,27,781 | 16,32,421 | 18,60,202 |
| 12 | जमुई | 1,43,203 | 13,98,904 | 15,42,107 |
| 13 | जहानाबाद | 73,928 | 7,11,716 | 7,85,644 |
| 14 | कैमूर (भभुआ) | 1,59,879 | 10,77,813 | 12,37,692 |
| 15 | कटिहार | 1,72,427 | 28,45,221 | 30,17,648 |
| 16 | खगरिया | 1,51,896 | 13,58,506 | 15,10,402 |
| 17 | किशनगंज | 1,84,985 | 14,30,577 | 16,15,562 |
| 18 | लखीसराय | 62,995 | 8,10,412 | 8,73,407 |
| 19 | मधेपुरा | 1,25,923 | 15,68,568 | 16,94,491 |
| 20 | मधुबनी | 4,75,147 | 32,48,107 | 37,23,254 |
| 21 | मुंगेर | 1,38,680 | 8,79,562 | 10,18,242 |
| 22 | मुजफ्फरपुर | 4,43,792 | 38,09,476 | 42,53,268 |
| 23 | नालन्दा | 2,84,216 | 20,73,852 | 23,58,068 |
| 24 | नवादा | 1,40,987 | 16,04,748 | 17,45,735 |
| 25 | पश्चिम चंपारण | 4,02,974 | 29,28,947 | 33,31,921 |
| 26 | पटना | 3,41,619 | 36,46,569 | 39,88,188 |
| 27 | पूर्वी चंपारण | 4,87,690 | 38,47,374 | 43,35,064 |
| 28 | पूर्णिया | 2,04,201 | 26,52,960 | 28,57,161 |
| 29 | रोहतास | 1,84,085 | 17,75,699 | 19,59,784 |
| 30 | सहरसा | 1,17,600 | 16,69,400 | 17,87,000 |
| 31 | समस्तीपुर | 3,91,479 | 34,41,030 | 38,32,509 |
| 32 | सारण | 3,70,202 | 23,89,014 | 27,59,216 |
| 33 | शेखपुरा | 41,154 | 4,73,918 | 5,15,072 |
| 34 | शिवहर | 42,967 | 5,28,926 | 5,71,893 |
| 35 | सीतामढ़ी | 2,57,004 | 25,60,499 | 28,17,503 |
| 36 | सिवान | 2,23,060 | 25,51,362 | 27,74,422 |
| 37 | सुपौल | 1,60,201 | 18,99,526 | 20,59,727 |
| 38 | वैशाली | 3,23,513 | 25,33,659 | 28,57,172 |
| | **कुल** | **83,00,243** | **7,71,24,599** | **8,54,24,842** |

*****